


<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 55/2024</p>	<p>म्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए</p>
<p>12.7.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 (अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम, मैसर्स अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एच-75 सारणेश्वर रिको, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 (Muruganantham Thambidurai (Nominee), M/s Arunnachala Impex Private Ltd., 358/75 Chimapura, Bhankrota, Jaipur-302026) एवं प्रतिवादी संख्या- 3 (सुशील दूबे, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म MRN Global Industries Private Ltd., P.K. Bandu Campus, Gram Bank, Jawahar Takery, Sirpur Dhar Road, Indore उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.2023 को फर्म अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एस-175 सारणेश्वर रिको, सिरोही में प्रतिवादी अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refind lodised salt का नमूना संख्या S-2187, Director, Referral Food Laboratory. Pune के विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांक:RFL/P/DO-532/23/619/2023 दिनांक 02.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 12.7.2024 को उपस्थित होकर स्वयं की ओर से व प्रतिवादी अनिल राठौड़ की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 12.7.2024 को ही सुना गया, जिन्होंने यह अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है व भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करके निस्ताण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही दिनांक 24.8. 2023 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म अरुणांचला इम्पैक्स प्रा.लि. (गोदाम), एच-75 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत प्रतिवादी अनिल राठौड़ पुत्र टीकाराम उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह</p> <p>.....लगातार</p>	<p>CT. m.w.s.k.</p> <p>Shimmi</p> <p>55/2024</p>



वा. वि. सि. बा. म. स. र.
सिरोही-307001.



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 55/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक .प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Refind lodised salt के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी सुशील दुबे, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म MRN Global Industries Private Ltd., P.K. Bandu Campus, Gram Bank, Jawahar Takery, Sirpur Dhar Road, Indore (म.प्र.) 452001 पर राशि रुपये 70,000/- (अक्षरे रुपये सत्तर हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सुशील दुबे, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म MRN Global Industries Private Ltd., P.K. Bandu Campus, Gram Bank, Jawahar Takery, Sirpur Dhar Road, Indore को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.8.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. दिनेश राय सापेला) ज.सि. वि.स. अधिकारी सिरोही-307001. </p>	



हुकम जारी तारीख 07.08.2024